

**अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।**

पत्रांक :- **968** अनु0/मधुबनी। दिनांक :- **16/10/2024**

प्रेषक,

ई0 दीपनारायण प्रसाद,
अधीक्षण अभियन्ता।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी।

विषय:- संवेदक, मॉ कन्सट्रक्शन द्वारा विभाग में GST की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु समर्पित दावा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-690 अनु0, दिनांक-10.05.2023
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि आपके प्रमंडल अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं में GST की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) हेतु संवेदक, मॉ कन्सट्रक्शन के द्वारा विभाग में समर्पित दावा की स्वीकृति ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा गठित GST समिति द्वारा GST Claim के निष्पादन हेतु आहुत बैठक की कार्यवाही में GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co, Patna के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर समीक्षोपरांत निम्न विवरणी के कॉलम 4 में अंकित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्र0सं0	पथ का नाम	स्वीकृति का प्रसंग	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	MMGSY (sc) अंतर्गत Construction and Maintenance of Road & CD work for Narsam to Patauna Tol in Bisfi Block Agg. No.- 27 SBD/2019-20	अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव, ब्राडा, पटना का पत्रांक-2671 अनु0, दिनांक-26.09.2024	Rs. 03,98,551/-
2	MMGSY (sc) अंतर्गत Construction and Maintenance of Road & CD work for Kaseera to Muslim Tol in Harlakhi Block Agg. No.- 28 SBD/2019-20	-तथैव- पत्रांक-2676 अनु0, दिनांक-26.09.2024	Rs. 03,06,140/-
3	GTSNY अंतर्गत Construction of Road & CD work for Nawa Tola to Pansalla Dalit Tola in Mahepur Block Agg. No.- 04 SBD/2018-19	-तथैव- पत्रांक-2648 अनु0, दिनांक-26.09.2024	Rs. 04,62,834/-
4	GTSNY अंतर्गत Construction of Road & CD work for SH-52 Parkauli Tikuli house of Vinay Kumar Yadav to Bhaduli Brahmotra Primary School in Benipatti Block Agg. No.- 03 SBD/2018-19	-तथैव- पत्रांक-2686 अनु0, दिनांक-26.09.2024	Rs. 80,403/-
Total			Rs. 12,47,928/-

अतः GST परामर्शी फर्म M/s SKKSS & Co के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय GST समिति की अनुशंसा की छायाप्रति संलग्न करते हुए उक्त विवरणी के कॉलम 4 में अंकित राशि के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत रखा जाए।
2. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया, तो उक्त सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन की राशि से समायोजित कर ली जाय।

अनु0:-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधुबनी।